संख्या-52/2017/2550 ई-2/तेरह-2017-51/2017

प्रेषक,

दीपक त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 12 अक्टूबर,2017

विषय:-वर्ष 2016-17 की समाप्ति के बाद लखनऊ जोन के सी0एल0-1सी गोदामों में अवशेष देशी मदिरा के स्टाक निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-167/दस-लाइसेंस-91/सी0एल0-1सी/लखनऊ जोन/2016-17, दिनांक 25 मई,2017 तथा पत्र संख्या-जी-179/दस-लाइसेंस-91/सी0एल0-1सी/लखनऊ जोन/2016-17, दिनांक 22 जून,2017 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक 13-9-2017 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त संख्या-2391 ई-2/तेरह-2017-51/2017, दिनांक 18 सितम्बर, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 25 मई,2017 एवं 22 जून,2017 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राजस्वहित में लखनऊ जोन के जनपदों में देशी मदिरा के थोक अनुज्ञापनों पर उपलब्ध वर्ष 2016-17 के अवशेष स्टाक के निस्तारण हेतु अन्तर्ग्रस्त सी0एल0-1सी अनुज्ञापियों की वर्ष 2016-17 की प्रतिभूति धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करते हुये उतनी ही प्रतिभूति धनराशि चलित वर्ष हेतु जमा कराकर वर्ष 2017-18 के निर्धारित एम0जी0क्यू0 के अतिरिक्त विशेष होलोग्राम लगाकर चलित वर्ष में विक्रय किये जाने की अनुमति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

तदनुसार कृपया अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(दीपक त्रिवेदी)
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in